न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2011

1. मनजीत कौर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी मन्दसिंह जाति बाजीगर निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवन्त कौर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी बलजीतसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 11 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र निधानसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. बलजीत कौर पत्नी सज्जनसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. कर्मजीत कौर पुत्री काशीराम जाति बाजीगर निवासी कालीबंगा हाल मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
5. उप पंजीयक सूरतगढ।
6. राजस्थान सरकार जी.ए. तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 17.03.2011

उपस्थितिः—

श्री राजाराम भादू अभिभाषक अपीलांट

27/9/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री रामप्रताप तिवाडी अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 27.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53 के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 239.500 आर.डी. के प.नं. 116/344 के कि.नं. 1 से 25 की 6.200है0, चक 21बी.एन.पी.एम.बी के प.नं. 103/323 कि.नं. 16 से 20 की 1.012है0, प.नं. 103/324 के कि.नं. 11 से 13, 18 से 23 की 2.088है0 , चक 5 बी.पी.एम. के प.नं. 114/344 के कि.नं. 1 से 20, 25 की 5.313है0 , चक 14 एफ तहसील श्रीगंगानगर के मु.नं. 21 के कि.नं. 21 से 25 की 1.265है0 , चक 2 एल बडा तहसील श्रीगंगानगर के मु. नं. 23 के कि.नं. 1 से 13 की 3.163है0 में 0.885है0 भूमि है। इसके पश्चात दादा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 2 एल बडा के मु.नं. 40 के कि.नं. 20 से 22 व 6 की कुल 2.024है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित होने के कारण पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है जो प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क से घ अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दावा व जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया एवं कांउटरक्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2, 3 ने जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। वादी द्वारा कांउटरक्लेम का जबाब पेश कर कांउटरक्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

27/9/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 12 वाद बिन्दु कायम किये।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 17.03.2011 को वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों को ही अपनी बहस बताया है एवं रेस्पों. द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पुत्रियों द्वारा पिता की co-parcenary सम्पत्ति में हक हकूक अधी. न्यायालय द्वारा नहीं देने से अपने हकों के लिए अपील पेश की है।

अपीलांट एवं रेस्पों. दोनो ही एक परिवार के सदस्य हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से निर्देशित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 co-parcenary सम्पत्ति उसकी मृत्यु उपरांत किस रूप में devolve होगी निर्धारित करती है जिसे Legistative द्वारा 2005 में संशोधित कर नई धारा 6 पुरानी धारा की जगह Substitute की जिसमें मिताक्षर हिन्दू उत्तराधिकार सिद्धांत अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों में पुत्रों व पुत्रियों को को समान अधिकार दिये गये थे परन्तु यह संशोधन Repealling and amendment Act 2015 द्वारा संशोधन अधिनियम को Repeal कर दिया है। अतः प्रकरण हाजा निर्णय की दिनांक के दिन अधिनियम 1956 की principal धारा 6 के प्रावधानुसार पिता के जीते जी

23/9/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट की Locus-standai नहीं बनने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/9/2017

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. मनजीत कौर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी मन्दसिंह जाति बाजीगर निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवन्त कौर पुत्री सज्जनसिंह पत्नी बलजीतसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 11 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र निधानसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. बलजीत कौर पत्नी सज्जनसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. कर्मजीत कौर पुत्री काशीराम जाति बाजीगर निवासी कालीबंगा हाल मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
5. उप पंजीयक सूरतगढ।
6. राजस्थान सरकार जी.ए. तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 35/2011 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ मुक्र्ख 17 माह 03 सन् 2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 27 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री राजाराम भादू अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री रामप्रताप तिवाडी अभिभाषक रेस्पों. व श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.09.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)